in Barsoi-Azamnagar section, yet the following preventive measures are being taken to prevent robberies/dacoities in passenger trains:

(i) All important and vulnerable night passenger trains are provided with Government Railway Police escorts.

(ii) Plain clothed staff of Government Railway Police keep on eye on movement and activities of criminals.

(iii) Drives are launched by Governmeni Railway Police with the co-operation of the District Police to apprehend culprits.

(iv) Surprise checks on performance of duties of the escorts are conducted by supervisory officers of Government Railway Police.

(v) Vestibuled doors of coaches are closed between 2200 hrs. and 0600 hrs.

(vi) TTEs/Attendants/Conductors of coaches have instruction to remain vigilant and prevent entry of unauthorised persons into the coaches particularly reserved compartments.

(vii) When there is spurt of crime in a particular area, the attention of the State Government concerned is drawn for better protection to railway passengers and necessary assistance is rendered whenever required.

मेडिकल कालेजों में कमजोर वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण

1517. **श्री नवीन रवाणी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों में हरिजनों, अनुसूचित जातियों, आदिवासियों, अल्प संख्यकों, चक्षुहीनों, तथा विकलांग व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में कोई नियम विनियम: कसौटी, सिद्धान्त, आदेश और प्रक्रियाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विभिन्न पक्षों तथा संगठनों द्वारा 1977 से 1980 के बीच उक्त मांग की गई है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) भारत के प्रत्येक मेडिकल कालेज में उक्त आरक्षण के आधार पर कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्राथमिकता वाले रेल वैगन

1518. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि गन्तव्य स्टेशनों पर रेल वैगनों के लिए प्राथमिकता दिए जाने तथा माल चढ़ाने वाले स्टेशनों द्वारा इस आशय की उचित सूचना प्राप्त किए जाने के बावजूद माल चढ़ाने वाले स्टेशनों इस प्राथमिकता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं जिस से व्यापारिक गतिविधियों में बाधा बढ़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गन्तव्य स्टेशनों तथा माल चढ़ाने वाले स्टशनों के बीच उचित समन्वय के लिए अनुदेश जारी करने का है ताकि प्राथमिकता और माल चढ़ाने के कार्यों में गड़बड़ को टाला जा सके ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). अधिमान्य यातायात अनुसूची सामान्य आदेश के उपबंध सभी क्षेत्रीय रेलों पर समान रूप से लागू होते हैं । इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए रेलों पर पहले ही आदेश विद्यमान हैं । इन अनुदेशों का अनुपालन न करने के संबंध में यदि कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में लायी जाय तो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उस की जाच की जाएगी ।

अनाराचन्देल, भूरी पडेल और पुरुलिया स्टेशन पर रोकी गई यात्री गाड़ियां

1519. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाराचन्देल, भूरी पडेल तथा पुरुलिया स्टेशनों पर जनवरी के दौरान यात्री गाड़ियों अचानक ही क्रमशः 40 घंटे और 8 घंट तक रोकी गई थी, यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ख) गाड़िया रोकने में किन व्यक्तियों का हाथ था उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि उन के विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई है, तो इस के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां पुरुलिया रेल सेवा सुधार परिषद् ने 17-9-81 से 19-1-81 तक थोड़ थोड़े समय के अन्तराल पर रेल पथ पर प्रदर्शन करने शुरू कर इस के परिणामस्वरूप चांडिल-आद्रा खंड पर 5 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं ।

(ख) प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग तथा लाठी चार्ज करना पड़ा । 85 व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए थे ।

द्वितीय श्रेणी का वापसी टिकट

1520. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1981 से द्वितीय श्रेणी के वापसी टिकट पर दी जाने वाली रियायत को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है और इस रियायत के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को प्रत्येक श्रेणी में रियायत दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सामान्य दूसरे दर्जे के वापसी टिकटों पर कोई रियायत नहीं दी जाती है । लेकिन, निर्धारित अवधियों के दौरान कुछ विशिष्ट पहाड़ी स्टेशनों के लिए वापसी यात्रा के लिए रियायती टिकट जारी किये जाते थे । यह रियायत पहली फरवरी, 1981 से वापस ले ली गयी है ।

(ख) भारतीय रेलों पर सामाजिक दायित्व से संबंधित उच्चस्तरीय समिति और रेल दर-जांच समिति ने, जिन्होंने अन्य बातों के साथ साथ-इस मामले की भी जांच की थी, यह विचार प्रकट किया कि पहाड़ी स्टेशनों के लिए रियायत की अनुमति देने के लिए कोई सामाजिक या वाणिज्यिक औचित्य नहीं है और इसे पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी । समिति ने यह